



Neutral Citation No. -2026:AHC:1618

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 1913 वर्ष 2023

दिनेश कुमार शुक्ला

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता : राजीव द्विवेदी, सुनील कुमार गौर

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री लेख राज सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 5- ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।

2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दाखिल की गई है :-

“(i) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम- पड़रिया, डाकघर- कोरांव, तहसील- कोरांव, जनपद- प्रयागराज स्थित खसरा संख्या 114, क्षेत्रफल 0.1140 हेक्टेयर, जो मरघट के रूप में दर्ज है, तथा खसरा संख्या 40 मि., क्षेत्रफल 1.7920 हेक्टेयर और खसरा संख्या 120, क्षेत्रफल 2.0770 हेक्टेयर, जो तालाब भूमि के रूप में दर्ज हैं, पर हुए उल्लंघन अथवा अवैध कब्जे को हटाएं।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 15.07.2023 के प्रत्यावेदन का निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय करें।

(iii) कोई अन्य रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जिससे याचिकाकर्ता के हितों का संरक्षण हो, जैसा कि यह माननीय न्यायालय वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में उचित एवं न्यायोचित समझे।

(iv) इस रिट याचिका को व्यय सहित याचिकाकर्ता के पक्ष में स्वीकार किया जाए।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इस न्यायालय ने प्रकरण में निर्देश प्राप्त करने हेतु विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देशित किया था।

4. तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित दिनांक 02.09.2023 के निर्देश अभिलेख पर लिए जाते हैं।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री लेख राज सिंह ने निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया कि गाटा संख्या 40 एवं 120 के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाहियां तहसीलदार के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि जो व्यक्ति विवादित भूखण्ड पर दीर्घकाल से काबिज हैं, उनके लिए वैकल्पिक आवास की भी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके पास अन्य कोई आवास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने विवादित भूखण्ड के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पंजीकृत 39 वादों की सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जो अवलोकनार्थ प्रासंगिक है, और वे निम्नवत् है :-

I. वाद संख्या 3906 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम हरिशंकर), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903906, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

II. वाद संख्या 3907 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम सुजात कुमार), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903907, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



III. वाद संख्या 3908 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम शिव दास), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903908, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

IV. वाद संख्या 3909 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम श्याम शंकर), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903909, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

V. वाद संख्या 3910 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम संतोष द्विवेदी), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903910, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

VI. वाद संख्या 3911 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम अवधेश द्विवेदी), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903911, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

VII. वाद संख्या 3912 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम प्रदीप कुमार), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903912, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

VIII. वाद संख्या 3913 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम कृष्ण कुमार), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903913, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



IX. वाद संख्या 3914 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम राम कृष्ण), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903914, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

X. वाद संख्या 3915 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम महानन्द), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903915, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XI. वाद संख्या 3916 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम रामधनी), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903916, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XII. वाद संख्या 3917 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम धर्मेन्द्र सिंह), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903917, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XIII. वाद संख्या 3918 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम अजय कुमार), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903918, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XIV. वाद संख्या 3919 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम राजा), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903919, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



XV. वाद संख्या 3920 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम कलुइया), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903920, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XVI. वाद संख्या 3921 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम बब्बू), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903921, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XVII. वाद संख्या 3922 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम बब्बू), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903922, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XVIII. वाद संख्या 3923 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम शिव शंकर), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903923, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XIX. वाद संख्या 3924 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम सुन्दर लाल), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903924, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XX. वाद संख्या 3925 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम हर्ष नारायण), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903925, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



XXI. वाद संख्या 3926 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम सुनील कुमार), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903926, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

XXII. वाद संख्या 3927 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम मिठाई लाल), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903927, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

XXIII. वाद संख्या 3928 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम राम सजीवन),
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903928, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता,
2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XXIV. वाद संख्या 3929 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम लाल जी), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903929, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

XXV. वाद संख्या 3930 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम भारत लाल), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903930, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

XXVI. वाद संख्या 3931 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम हरी शंकर), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903931, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



XXVII. वाद संख्या 3932 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम सुरेन्द्र कुमार),
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903932, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता,
2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XXVIII. वाद संख्या 3933 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम बऊ), कम्प्यूटरीकृत वाद
संख्या टी202302030903933, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के
अंतर्गत।

XXIX. वाद संख्या 3934 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम लल्लू), कम्प्यूटरीकृत वाद
संख्या टी202302030903934, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के
अंतर्गत।

XXX. वाद संख्या 3935 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम फूलचन्द्र), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903935, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

XXXI. वाद संख्या 3936 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम रामधनी), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903936, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

XXXII. वाद संख्या 3937 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम जगिलाल), कम्प्यूटरीकृत
वाद संख्या टी202302030903937, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा
67 के अंतर्गत।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



XXXIII. वाद संख्या 3938 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम किन्जा), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903938, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XXXIV. वाद संख्या 3939 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम फूलकली), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903939, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XXXV. वाद संख्या 3940 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम पप्पू), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी20230203090394, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XXXVI. वाद संख्या 3941 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम जगत), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903941, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XXXVII. वाद संख्या 3942 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम अम्बिका), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903942, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

XXXVIII. वाद संख्या 3943 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम झल्लू), कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202302030903943, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



XXXIX. वाद संख्या 3944 सन् 2023, (ग्राम सभा बनाम कैलाश), कम्प्यूटरीकृत

वाद संख्या टी202302030903944, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा

67 के अंतर्गत।

6. निर्देश में उल्लिखित तथ्यों पर विचार करते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका का अंतिम निस्तारण प्रतिवादी संख्या 4- तहसीलदार, कोरांव, प्रयागराज को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह उपर्युक्त 39 वादों, जो व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं, का पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, विधि के अनुसार, शीघ्र निर्णय करे।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 5, 2026

नीतू

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।